यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल के माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना ले0प0 एवं श्री ए0के0 गुप्ता, श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.09.17 से 16.09.17 तक श्री पी0के0 गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.02.16 से 18.02.16 तक श्री आई0 के0 जुयाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 08/2012 से 01/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2012 से 01/2016 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 02/2016से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल

(ii) (ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	0.21
2015-16	0.26
2016-17	1.05

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	शून्य	शून्य	19.93	19.93	148.97	148.97	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	3.00	3.00	105.42	105.42	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	3.50	3.50	116.925	116.925	शून्य	शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	कैम्पा	-	174.45	172.87	1.58

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन के द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वन विभाग> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/17 को राजस्व के विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह 03/17 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2ब

प्रस्तर- 1 अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत जमा की धनरा श जमा न कया जाना ₹**0.37** लाख।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, स वल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा जमानत जमा से संबन्धित दी गयी सूचना के आधार पर निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष रा श
1	श्रीमती अनुसुया थप लयाल	मु. स.	1500	-	1500
2	श्रीमती शकुंतला नेगी	. स.	1500	1000	500
3	श्री राहुल पटेल	क. स.	1500	-	1500
4	श्री वीरेंद्र संह रावत	उ. व. स.	8000	-	8000
5	श्री रामेश्वर प्रसाद जुयाल	व. द.	6000	4500	1500
6	श्री जसपाल संह	व द	6000	-	6000
7	श्री जय संह गुंसाई	व द	6000	-	6000
8	श्री अजय संह कंडारी	व. आ.	4000	-	4000
9	कु. बबीता लाल	व. आ.	4000	-	4000
10	कु. कुसुम आर्य	व. आ.	4000	-	4000
योग					**37000**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क बकाया जमानत जमा करवाकर संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 2 सक्षम प्रा धकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना ₹1.84 लाख के निर्माण कार्यों का कराया जाना।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, स वल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के वर्ष 2016-17 की ई-10 पंजिका की जांच में पाया गया क ₹184000 की लागत के 06 निर्माण कार्य (सूची संलग्न) बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृत के पूर्ण करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (सतम्बर 2017) तक प्रभाग को उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क कार्यालय के पत्र संख्या 448/3-2 दिनांक 17.10.2016 से व भन्न कर्मचारियों के आवास मरम्मत हेतु स्वीकृति हेतु ₹1,84,000 के प्राक्कलन उच्च स्तर को भेजे गए हैं जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनरा श
1	श्री नन्दन संह चौहान, प्रशासनिक अ धकारी, स वल सोयम वन प्रभाग पौड़ी के थाना मोहल्ला स्थित सरकारी आवास पर मरम्मत कार्य करना।	61000
2	श्री गजेंद्र संह, चौकीदार स वल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के आवास की छत व वद्युत फटिंग ठीक करना।	10000
3	श्री प्रेम संह रौथाड़, अर्दली स वल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के सरकारी आवास पर लैट्रिन पीट का ढक्कन बनाना आदि।	10900
4	टी. ओ. क्वार्टर पौड़ी के आवास पर ऑयल बॉन्ड डस्टेंपर करना आदि।	10100
5	प्रभागीय वना धकारी, स वल सोयम, वन प्रभाग पौड़ी के आवास पर पाइप लाइन बनाना आदि।	40000
6	श्री भूपेंद्र कुमार सती, वन दरोगा के आवास की छत मरम्मत व पट सफाई कार्य करना आदि।	52000
योग		**184000**

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 3 वन पंचायतों से ₹27.52 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, स वल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत चारागाह वकास योजना में वर्ष 2016-17 में व भन्न पंचायतों को धनरा श ₹45,69,437 उपलब्ध कराई गयी थी। उक्त धनरा श में से व भन्न वन पंचायतों द्वारा धनरा श ₹27,51,727 (सूची संलग्न) के उपयो गता प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क उपयो गता प्रमाण पत्र संबन्धित वन पंचायतों से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रे षत कया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	वन पंचायत का नाम	धनरा श
1	अध्यक्ष ग्राम वन स मति बिलखेत	116450
2	अध्यक्ष ग्राम वन स मति कमोली	116450
3	अध्यक्ष ग्राम वन स मति गहड़	126012
4	अध्यक्ष ग्राम वन स मति मजगाँव	74045
5	अध्यक्ष ग्राम वन स मति सासों	148090
6	अध्यक्ष ग्राम वन स मति गुराड मल्ला	148090
7	अध्यक्ष ग्राम वन स मति डौंरिया	148090
8	अध्यक्ष ग्राम वन स मति समल्थ	41100
9	अध्यक्ष ग्राम वन स मति जवाडी	41100
10	अध्यक्ष ग्राम वन स मति ब र्सला	41100
11	अध्यक्ष ग्राम वन स मति कठूड	41100
12	अध्यक्ष ग्राम वन स मति एंगार	41100
13	अध्यक्ष ग्राम वन स मति घुन्ना	151000
14	अध्यक्ष ग्राम वन स मति चौंडी	60000
15	अध्यक्ष ग्राम वन स मति स्याल्मी	90000
16	अध्यक्ष ग्राम वन स मति सांकर	90000
17	अध्यक्ष ग्राम वन स मति कांडा	120000
18	अध्यक्ष ग्राम वन स मति गोर्ली	150000
19	अध्यक्ष ग्राम वन स मति डंडा	120000
20	अध्यक्ष ग्राम वन स मति कलेथ	120000
21	अध्यक्ष ग्राम वन स मति पत्रसेण	120000
22	अध्यक्ष ग्राम वन स मति मंजखोली	96000
23	अध्यक्ष ग्राम वन स मति गडोली	120000
24	अध्यक्ष ग्राम वन स मति बहेली	72000
25	अध्यक्ष ग्राम वन स मति मैठाणा	120000
26	अध्यक्ष ग्राम वन स मति ककरोड़ा	120000
27	अध्यक्ष ग्राम वन स मति मोहनवाकली	60000
28	अध्यक्ष ग्राम वन स मति फरसाणी	60000
योग		**2751727**

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 4 निरर्थक व्यय ₹4.40 लाख।

महिला पौधशाला को अनुदान दिये जाने का मुख्य उद्देश्य माहिलाओ के जीवकोपार्जन करने हेतु महिलाओं की आ र्थक स्थिति में सुधार लाना है।

प्रभाग के अ भलेखो की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 04 महिला पौधशाला कार्यरत थी जब क 05 महिला पौधशालाओं को ₹400000 अनुदान दिया गया था। इन पाँच पौधशालाओं में वैद्यगाँव पौधशाला को वर्ष 2012-13 में ₹300000 व वर्ष 2013-14 में ₹90000 अनुदान दिया गया था। इसी प्रकार ढौर पौधशाला को वर्ष 2012-13 में ₹25000 अनुदान दिया गया था तथा प दोनों पौधशालाएं वर्ष 2014-15 में बंद हो गयी थी। धनकुला पौधशाला वर्ष 2012-13 में कार्यरत न होने के बावजूद भी ₹25000 का अनुदान दिया गया।

इस प्रकार उक्त पौधशालाओं में वैद्यगाँव, ढौर व धनकूला को दिया गया अनुदान क्रमशः ₹390000, ₹25000 व ₹25000 कुल ₹440000 निरर्थक व्यय रहा।

उक्त पाँच पौधशालाओं में वर्ष 2012-13 में सभी को तथा वर्ष 2013-14 में 02 पौधशालाओं को तथा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में केवल 01 पौधशाला को अनुदान दिया गया था। वर्ष 2016-17 में कसी भी पौधशाला को अनुदान नहीं दिया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जांचोपरांत लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी